

**न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)**  
**(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)**  
**विशेष सत्र प्रकरण कमांक-197/15 (डकैती)**  
**प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 06.10.2010**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-एण्डोरी, गोहद  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

**बनाम**

1. रामनिवास सिंह गुर्जर पुत्र कल्याण सिंह गुर्जर आयु 32 वर्ष, निवासी ग्राम खुड़ी थाना सिहोंनिया जिला मुरैना म0प्र0
2. भारत सिंह गुर्जर पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर आयु 32 वर्ष ग्राम खुड़ी थाना सिहोंनिया जिला मुरैना म0प्र0
3. सतेन्द्र उर्फ सत्ता पुत्र मुन्ना सिंह गुर्जर आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम बरखापुरा, महुरी थाना सिहोंनिया जिला मुरैना म0प्र0

..... अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।  
 अभियुक्त रामनिवास द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।  
 अभियुक्त भारत सिंह एवं सतेन्द्र सिंह उर्फ सत्ता द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 09.11.17 को घोषित)

1. अभियुक्तगण रामनिवास सिंह गुर्जर, भारत सिंह गुर्जर एवं सतेन्द्र सिंह गुर्जर उर्फ सत्ता के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा- 397 सहपठित 34 एवं धारा-11 एवं 13 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.05.15 को दिन के 01:00 बजे के लगभग शेरपुर नागौर रोड़ फौजदार सिंह सरदार के खेत के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल लूटने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में घातक अग्न्यायुध का उपयोग कर श्याम शर्मा के आधिपत्य से उसकी हीरोहोन्डा मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन कमांक एम. पी.-30-एम.सी.-9021 की लूट कारित की।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया घटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।
3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 31.05.15 को फरियादी श्याम शर्मा अपने चाचा बृजराज शर्मा की मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 से अपने बड़े भाई सुशील शर्मा को बस पर छोड़ने सिहोंनिया गया था। वह भाई को छोड़कर अपने घर आ रहा था, तभी तीन लड़के नागौर की तरफ से मोटरसाइकिल से निकल कर आए। जब श्याम शर्मा जब नागौर आया तो वह तीनों लड़के जसवंत दण्डोटिया में मकान पर खड़े दिखे, फरियादी अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव शेरपुर की तरफ चला तब तीनों लड़के मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-9422 डिस्कवर से उससे आगे निकल आए तथा बंधबाबा पुरा फौजदार सिंह सरदार के खेत के पास शेरपुर नागौर रोड पर तीनों ने श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल रूकवा दी। एक लड़का जिसे श्याम शर्मा जानता था, उसने गलेबान पकड़कर श्याम शर्मा को उतार दिया तथा दोनों ने श्याम शर्मा की छाती पर कट्टा अड़ा दिया, जिससे श्याम शर्मा घबरा गया। उनमें से राम निवास गुर्जर को श्याम शर्मा जानता था। रामनिवास गुर्जर ने श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल छीन ली और उसी मोटरसाइकिल से भाग गया। अन्य दो लड़के भी अपनी मोटरसाइकिल से चले गए। फिर श्याम शर्मा अपने घर पहुंचा तथा मुरारी चाचा, नरेन्द्र एवं बृजराज को लेकर वह अपनी मोटरसाइकिल को तलाश करने गया तो घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल जसवंत दण्डोटिया के घर के दरवाजे पर खड़ी मिली उसके बाद श्याम शर्मा ने थाना एण्डोरी पर आकर प्र0पी0-03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से रामनिवास एवं अन्य दो लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/15 अंतर्गत धारा-392 एवं 34 भा0द0वि0 तथा 11 एवं 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम तथा 25 एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
4. दौराने अनुसंधान उसी दिनांक को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-04 बनाया गया। फरियादी श्याम शर्मा का प्र0पी0-05 का पुलिस कथन लिया गया। दिनांक 04.06.15 को रामौतार दण्डोटिया के मकान के सामने से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9422 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-08 बनाया गया। दिनांक 10.06.15 को अभियुक्त रामनिवास गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया गया। उसका प्र0पी0-06 का मेमोरेण्डम लिया गया। उसी दिनांक 10.06.15 को मुरारीलाल शर्मा, सुशील शर्मा के प्र0डी0-01 एवं प्र0पी0-11 के पुलिस कथन लिए गए। दिनांक 11.06.15 को अभियुक्त रामनिवास के मकान स्थित ग्राम खुड़ी से मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-10 बनाया गया। दिनांक 23.07.15 को नरेन्द्र शर्मा का प्र0पी0-12 का तथा बृजराज शर्मा का प्र0पी0-01 का पुलिस कथन लिया गया। जसवंत दण्डोटिया का प्र0पी0-02 का पुलिस कथन लिया गया। दिनांक 23.07.15 को अभियुक्त सत्ता उर्फ सतेन्द्र सिंह गुर्जर को प्र0पी0-14 के गिरफ्तारी पंचनामे से

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भारत सिंह को प्र0पी0-15 के गिरफ्तारी पंचनामे से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 24.07.15 को भारत सिंह का प्र0पी0-16 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जिसमें घटना में प्रयुक्त कट्टा व कारतूस अभियुक्त सत्ता उर्फ सतेन्द्र से पुलिस सिहोनिया द्वारा जप्त किया जा चुका बताया। सत्ता उर्फ सतेन्द्र सिंह का प्र0पी0-17 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जिसमें घटना के समय उसके पास जो कट्टा व कारतूस था उस कट्टे तथा कारतूस को सिहोनिया पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया तथा मोटरसाइकिल साथी रामनिवास गुर्जर से पुलिस एण्डोरी द्वारा जप्त किया जाना बताया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि साक्षी रंजिश के कारण उनके विरुद्ध बोलते हैं, वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 31.05.15 को दिन के 01:00 बजे या उसके लगभग शेरपुर नागौर रोड फौजदार सिंह सरदार के खेत के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन कमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 की घातक अग्न्यायुध कट्टे का उपयोग करते हुए लूट कारित की ?
2. क्या मोटरसाइकिल अभियुक्तगण के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त रामनिवास सिंह के आधिपत्य से जप्त की गई ?
3. क्या उक्त लूट अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई ?
4. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

### विचारणीय प्रश्न कमांक 01

7. फरियादी श्याम शर्मा अ0सा0-05 ने यह बताया है कि दिनांक 31.05.15 को दिन के लगभग 12:00 बजे वह अपने भाई सुशील को सिहोनिया बस पर छोड़कर अपने घर वापिस आ रहा था तब रास्ते में तीन लड़के मुंह बांधे हुए मोटरसाइकिल से उसके पास आए तथा फिर तीनों लड़के उसके पीछे लगे रहे। फिर सरदारों के पुरा जिसे बंधबाबा का पुरा कहते हैं, वहां पर बनी पुलिया के आगे उसकी मोटरसाइकिल को रोक लिया और उक्त मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा कंपनी की, जो कि उसके चाचा बृजराज की थी, वह उससे छुड़ा ली। उन लुटेरों ने उसकी छाती से कट्टा भी अड़ाया था। फिर एक लुटेरा उसकी मोटरसाइकिल छुड़ा कर ले गया। दो लुटेरे जिस मोटरसाइकिल से आए थे, उससे भाग गए। श्याम शर्मा अ0सा0-05 ने यह भी बताया है कि फिर वह अपने चाचा मुरारी के साथ थाना एण्डोरी आया था। वहां पर घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-03 लिखाई थी। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-04 बनाया था। लालता प्रसाद अ0सा0-04 ने उसकी उक्त

साक्ष्य की पुष्टि करते हुए प्र0पी0-03 प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.05.15 को फरियादी श्याम शर्मा द्वारा लिखाया जाना बताया है।

**8.** एम.एल. डोंगर अ0सा0-07 ने उसी दिनांक 31.05.17 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-04 बनाया जाना और उसी दिनांक को फरियादी श्याम शर्मा का कथन लेना बताया है। उक्त लूट की घटना कारित करने के संबंध में उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि मुरारी लाल शर्मा अ0सा0-01, बृजराज शर्मा अ0सा0-02, सुशील शर्मा अ0सा0-03 एवं नरेन्द्र शर्मा अ0सा0-13 ने भी की है और श्याम शर्मा के बताए अनुसार तीन लोगों के द्वारा श्याम शर्मा की छाती पर कट्टा अड़ाकर मोटरसाइकिल लूट कर भाग जाना बताया है। इस बिन्दु पर उपरोक्त साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में यह चुनौती नहीं दी गई है कि उपरोक्त लूट की घटना कारित नहीं हुई। उपरोक्त सभी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि इस साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए कि लूट की घटना कारित हुई। उपरोक्त साक्षियों से अभियुक्तगण की कोई रंजिश आदि होना भी प्रकट नहीं है।

**9.** यद्यपि श्याम शर्मा अ0सा0-05, मुरारी लाल शर्मा अ0सा0-01, बृजराज शर्मा अ0सा0-2, सुशील शर्मा अ0सा0-12 एवं नरेन्द्र शर्मा अ0सा0-13 को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है। परंतु इस बिन्दु पर उपरोक्त साक्षी पूर्णतः विश्वसनीय है, जो पक्षविरोधी घोषित किया गया है वह अभियुक्तगण की पहचान एवं उनके द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में किया गया है, शेष तथ्यों को उपरोक्त सभी साक्षियों ने बताया है और उनकी साक्ष्य की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-03 से भली भांति हो रही है और आपस में भी उनकी साक्ष्य की पुष्टि हो रही है। अतः यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 31.05.15 को दिन के 01:00 बजे या उसके लगभग शेरपुर नागौर रोड फौजदार सिंह सरदार के खेत के पास अंतर्गत थाना एण्डोरी जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 की घातक अग्न्यायुध कट्टे का उपयोग करते हुए लूट कारित की गई।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02:-

**10.** बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने दिनांक 10.06.15 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए, उक्त दिनांक को थाने के अपराध क्रमांक 67/15 अर्थात् इसी प्रकरण में अभियुक्त रामनिवास गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया जाना तथा उससे पूछ ताछ किए जाने पर उसके द्वारा यह बताया जाना बताया है कि मोटरसाइकिल उसके घर के अंदर कमरे में रखी हुई है एवं घटना में प्रयुक्त कट्टा मालनपुर पुलिस ने जप्त कर लिया है। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-06 होना बताया है।

**11.** बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 11.06.15 को अभियुक्त रामनिवास के मकान स्थित ग्राम खुड़ी से मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-10 बनाया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियुक्त रामनिवास के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल उसके घर से जप्त कर करना बताया है। बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने दिनांक 23.07.15 को सत्ता उर्फ सतेन्द्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-14 बनाया जाना एवं अभियुक्त भारत सिंह गुर्जर को



गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनाम प्र0पी0-15 बनाया जाना बताया है। अजय अ0सा0-08 ने भी राम निवास गुर्जर को न्यायालय परिसर में बाल्मीक चौबे द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-07 बनाए जाने की पुष्टि की है।

12. बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने यह भी बताया है कि दिनांक 24.07.15 को भारत सिंह ने मेमोरेण्डम कथन देते हुए बताया था कि मोटरसाइकिल पुलिस एण्डोरी द्वारा जप्त कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त कट्टा व एक कारतूस अभियुक्त सत्ता उर्फ सतेन्द्र से पुलिस सिहोंनिया द्वारा जप्त किया जा चुका है। उक्त मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-16 है। यह भी बताया है कि उसी दिनांक को सत्ता उर्फ सतेन्द्र ने अपने मेमोरेण्डम कथन देते हुए इस साक्षी को यह बताया था कि घटना के समय उसके पास जो कट्टा व कारतूस था, उसे सिहोंनिया पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया है और मोटरसाइकिल उसके साथी रामनिवास गुर्जर से पुलिस एण्डोरी द्वारा जप्त कर ली गई है। उक्त मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-17 है।
13. इस प्रकार इन दोनों अभियुक्तगण भारत सिंह एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र के द्वारा मेमोरेण्डम कथन में यह बताया गया है कि कट्टा व कारतूस अन्य पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है अर्थात् कट्टा व कारतूस के संबंध में अन्य प्रकरण है। इस प्रकार इस प्रकरण में आयुध अधिनियम के अपराध के संबंध में विचार नहीं किया गया है।
14. अभियुक्त भारत सिंह एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र के द्वारा पुलिस को मोटरसाइकिल रामनिवास गुर्जर से जप्त होने की जानकारी दी गई है। साहब सिंह अ0सा0-06 ने यह बताया है कि दिनांक 10.06.15 को अभियुक्त रामनिवास गुर्जर ने दरोगा जी बाल्मीक चौबे को अपना मेमोरेण्डम कथन देते हुए मोटरसाइकिल को उसके घर के कमरे में रखी होना व चलकर बरामद करना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-06 होना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी ने रामनिवास के द्वारा प्र0पी0-06 के मेमोरेण्डम कथन देने के संबंध में बाल्मीक चौबे अ0सा0-06 की साक्ष्य की पुष्टि की है, जिसके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे उसकी उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए।
15. इसी प्रकार योगेन्द्र सिंह अ0सा0-17 ने दिनांक 10.06.15 को रामनिवास के द्वारा मोटरसाइकिल उसके घर के कमरे में रखी होने के तथ्य बताया जाना बताया है। जिसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-06 होना बताया है। इस साक्षी की साक्ष्य से भी बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 की उपरोक्त साक्ष्य की भली भांति पुष्टि हो रही है। योगेन्द्र सिंह अ0सा0-17 ने यह भी बताया है कि दिनांक 24.07.15 को अभियुक्त सत्ता उर्फ सतेन्द्र ने दरोगा जी को मेमोरेण्डम कथन देते हुए बताया था कि कट्टा व कारतूस सिहोंनिया पुलिस द्वारा उससे जप्त कर लिया है तथा लूटी हुई मोटरसाइकिल उसके साथी रामनिवास से पुलिस एण्डोरी द्वारा जप्त कर ली गई है। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0-17 है। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 की साक्ष्य की पुष्टि योगेन्द्र सिंह अ0सा0-17 की साक्ष्य से भली भांति हो रही है।
16. उपरोक्त चारों साक्षियों की साक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए। चारों ही साक्षियों से अभियुक्तगण की कोई रंजिश होना या उन्हें झूठा फंसाए जाने का कोई अन्य कारण भी प्रकट और

प्रमाणित नहीं है। चारों साक्षियों ने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उक्त कार्यवाही की है। उनकी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 से प्रतिपरीक्षण में पैरा-05 में पूछे जाने पर उसने यह बताया है कि रामनिवास का घर का दरवाजा किस दिशा में है, वह बता सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं आए हैं। इस प्रकार साक्षी को रामनिवास के घर की पूरी जानकारी है।

- 17.** अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट व प्रमाणित होता है कि अभियुक्त रामनिवास के धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम प्र0पी0-06 के आधार पर अर्थात् रामनिवास गुर्जर के द्वारा दी गई मोटरसाइकिल की जानकारी के आधार पर प्र0पी0-10 के अनुसार उसके आधिपत्य से मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 जप्त की गई, जो कि ग्राम खुड़ी में रामनिवास के मकान के अंदर कमरे से जप्त की गई और घर के अंदर कमरे रखी होने के तथ्य रामनिवास के द्वारा बताए गए हैं। जिसके आधार पर मोटरसाइकिल जप्त हुई। इस प्रकार उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त रामनिवास के आधिपत्य से जप्त होना प्रमाणित होता है। चूंकि उक्त जप्त होने के बाद भारत सिंह का प्र0पी0-16 एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र का प्र0पी0-17 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उनसे केवल रामनिवास से मोटरसाइकिल जप्त होने के तथ्य प्रमाणित होते हैं। अभियुक्त भारत सिंह एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र का कोई संपर्क अपराध से होना प्रकट नहीं होता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:-

- 18.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.सी.-9021 अभियुक्त रामनिवास के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके आधिपत्य से जप्त की गई है। जहां तक कि रामनिवास के द्वारा या अन्य अभियुक्त गण के द्वारा लूट कारित करने का संबंध है, श्याम शर्मा अ0सा0-05 से प्रतिपरीक्षण अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर पैरा-03 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-03 और पुलिस को दिए अपने कथन प्र0पी0-05 में यह लिखाया था कि “एक लड़का जिसे वह जानता है, उसने गलेबान पकड़कर उसे उतार लिया, मैं रामनिवास गुर्जर को जानता हूं उसने मेरी मोटरसाइकिल छुड़ा ली और लेकर भाग गया।”
- 19.** प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-03 में यह तथ्य है कि रामनिवास गुर्जर ने श्याम शर्मा से मोटरसाइकिल छुड़ा ली थी और रामनिवास को श्याम शर्मा पहले से जानता जानता था। परंतु अपनी साक्ष्य में यह तथ्य श्याम शर्मा अ0सा0-05 ने नहीं बताया है और इस तथ्य से इन्कार किया है कि वह अभियुक्तगण को पहले से जानता है और घटना के समय अभियुक्त रामनिवास को अच्छी तरह पहचानकर ही उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस कथन में लिखाया था। इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने ही कट्टा अड़ाकर उसकी मोटरसाइकिल लूटी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में उसने यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण ने किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है। इस प्रकार फरियादी श्याम शर्मा अ0सा0-5 जो कि घटना का अकेला चक्षुदर्शी साक्षी है। उसने सभी अभियुक्तगण के संबंध में लूट कारित करने के संबंध में अभियोजन का कोई

समर्थन नहीं किया है। इस बिंदु पर अभियोजन की ओर से उसे पक्षविरोधी भी दूषित किया गया है।

**20.** सुशील अ0सा0-12 एवं नरेन्द्र शर्मा अ0सा0-13 क्रमशः फरियादी क्रमशः श्याम शर्मा अ0सा0-5 के बड़े भाई एवं चाचा हैं। जिन्होंने श्याम शर्मा के बताये अनुसार घटना बताई है। अतः इस वे चक्षुदर्शी साक्षी न होकर अनूश्रुत साक्ष्य के साक्षी हैं। उन्होंने भी रामनिवास के संबंध में या अन्य अभियुक्तगण के संबंध में लूट कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है और इस बिंदु पर अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

**21.** जहां तक कि उस मोटरसाइकिल, जिससे कि अभियोजन के अनुसार घटना कारित की गयी अर्थात् लूट कारित की गयी, की जप्ती का प्रश्न है, बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने यह बताया है कि दिनांक 04.06.2015 को उनके द्वारा घटना से संबंधित मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 9422 डिस्कवर 100सीसी सिल्वर कलर की रामअवतार दण्डौतिया के मकान के सामने से ग्राम नागौर से जप्त की गयी थी। जप्तीपंचनामा प्र0पी08 है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के पेरा 4 में बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने यह व्यक्त किया है कि वे ऐसा कारण नहीं बता सकता कि 31.05.2015 से 04.06.2015 तक मोटरसाइकिल दण्डौतिया के मकान से जप्त क्यों नहीं की गयी। आगे इस संबंध में बाल्मीक चौबे अ0सा0-16 ने यह बताया है कि दिनांक 04.06.2015 को ट्रेनिंग के पश्चात वापिस आए थे अर्थात् जप्त करने का कारण यह बताया है कि 04.06.2015 तक वे ट्रेनिंग में थे। इस मामले में घटना दिनांक 31.05.2015 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 3 के अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 9422 से आये तीन लड़कों के द्वारा श्याम शर्मा की मोटरसाइकिल की लूट कारित की गयी है। वहीं घटना में प्रयुक्त की गयी मोटरसाइकिल जसवंत दण्डौतिया के दरवाजे पर खड़ी मिला बताया गया है।

**22.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जसवंत दण्डौतिया के मकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी होना बताया गया है और प्र0पी0-8 के अनुसार रामअवतार दण्डौतिया के मकान के आगे से मोटरसाइकिल जप्त होना बताया गया है। साक्षी जसवंत दण्डौतिया की वल्लिदयत रामअवतार दण्डौतिया है। जहां जसवंत अ0सा0-03 ने भी अपनी साक्ष्य में पिता का नाम रामअवतार बताया है जिससे कि यह प्रकट हो रहा है कि जसवंत का मकान और रामअवतार का मकान एक ही है।

**23.** जसवंत दण्डौतिया अ0सा0-3 ने यह तो बताया है कि साक्ष्य देने की दिनांक 12.04.2016 से लगभग 10-11 महीने पहले उसके मकान के दरवाजे पर तीन लोग एक मोटरसाइकिल को छोड़कर यह कहकर चले गये थे कि वह दूसरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेकर वापिस आ रहे हैं तब अपनी इस मोटरसाइकिल को ले जायेंगे, परंतु यह नहीं बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्तगण रामनिवास, भारत सिंह या सत्ता उर्फ सतेन्द्र सिंह छोड़ गये हैं। जसवंत सिंह अ0सा0-3 ने यह बताया है कि उसके रिश्तेदार श्याम शर्मा ने उन्हें यह आकर बताया था कि तुम्हारे यहां इस मोटरसाइकिल को कौन रख गया है, उक्त मोटरसाइकिल वाले ने ही उसकी मोटरसाइकिल को लूट लिया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी ऐसा कहीं भी व्यक्त नहीं किया है कि उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्तगण या उनमें से कोई छोड़ गया था।

**24.** श्याम शर्मा अ0सा0-5 ने मुख्य परीक्षण के पैरा-2 में यह बताया है कि वह अपने चाचा मुरारी, बृजराज, भाई नरेन्द्र को लेकर अपनी मोटरसाइकिल की तलाश में निकले थे कि ढूँढते-ढूँढते नागौर गांव में जसवंत सिंह के मकान के दरवाजे के आगे लूट की मोटरसाइकिल उन्हें खड़ी मिली थी। फिर वह अपने चाचा मुरारी के साथ थाना एण्डौरी गये थे और वहां पर रिपोर्ट लिखायी थी, परंतु श्याम सिंह अ0सा0-5 ने यह नहीं बताया है कि उक्त जसवंत सिंह के मकान के दरवाजे के आगे अभियुक्तगण रामनिवास, भारत सिंह और सत्ता उर्फ सतेन्द्र ने छोड़ी थी या उक्त मोटरसाइकिल उनकी थी। इस मामले को प्र0पी0-8 के अनुसार खुले स्थान से उक्त मोटरसाइकिल जप्त की गयी है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री या साक्ष्य के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल से अभियुक्तगण का कोई संबंध होना प्रकट और प्रमाणित नहीं हो रहा है। मुरारीलाल शर्मा अ0सा0-1 ने भी पैरा-8 में यह बताया है कि ग्राम नागौर से पुलिस पंचनामा बनाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल उठाकर ले गयी थी।

**25.** मुरारीलाल शर्मा अ0सा0-1 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-4 में यह बताया है कि दिनांक 31.05.2015 को ही आरोपी का नाम पता चल गया था। इसलिए श्याम के साथ जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी, तथा यह भी बताया है कि उसे एवं उसके भतीजे को जसवंत सिंह ने यह बताया था कि उक्त मोटरसाइकिल रामनिवास की है। उसी के अनुसार रामनिवास के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। परंतु जसवंत सिंह अ0सा0-3 ने यह नहीं बताया है कि उक्त मोटरसाइकिल रामनिवास की थी। बृजराज शर्मा अ0सा0-3 ने भी यह बताया है कि जिन बदमाशों ने श्याम की मोटरसाइकिल छुड़ाई थी उन बदमाशों के नाम श्याम ने उसे आज तक नहीं बताये थे।

**26.** मुरारीलाल शर्मा अ0सा0-1 ने मुख्य परीक्षण में ही पैरा-3 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 तारीख को पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया था और पुलिस ने उन्हें बताया था कि एक अभियुक्त रामनिवास को पुलिस ने मालनपुर से गिरफ्तार कर लिया है और रामनिवास ने 2 अन्य बदमाशों के नाम सतेन्द्र तथा उसके अलावा दूसरे का नाम भी बताया था जिसका नाम उसे याद नहीं है। इस प्रकार मुरारीलाल अ0सा0-1 ने पुलिस के बताये अनुसार रामनिवास एवं सतेन्द्र का नाम बता रहा है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के अनुसार तीनों ही अभियुक्तगण का उक्त लूट से कोई संपर्क स्थापित होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट होता है कि श्याम शर्मा से कटटा अड़ाकर उसकी मोटरसाइकिल लूट ली गयी। परंतु श्याम शर्मा अ0सा0-5 ने न्यायालय में अभियुक्तगण को नहीं पहचाना है और अन्य किसी साक्षी ने भी न्यायालय को अभियुक्तगण को नहीं पहचाना है। उनकी कोई शिनाख्ती कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा उक्त लूट कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, परंतु उक्त लूटी हुई मोटरसाइकिल अभियुक्त रामनिवास के आधिपत्य से जप्त होना प्रमाणित है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04 :-दोषसिद्धि एवं दण्डादेश:-**

**27.** उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित हुआ है कि दिनांक 31.05.2015 को फरियादी श्याम शर्मा के आधिपत्य की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी



30 एमसी 9021 की लूट कारित की गयी और उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त रामनिवास के आधिपत्य से जप्त होना प्रमाणित हुआ है जिसमें कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त मोटरसाइकिल “चुरायी हुई संपत्ति” के रूप में है और अभियुक्त रामनिवास के आधिपत्य से उक्त मोटरसाइकिल जप्त होने से यह प्रमाणित है कि रामनिवास ने उक्त मोटरसाइकिल को, यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। इस प्रकार अभियुक्त रामनिवास के विरुद्ध चुरायी हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध प्रमाणित होता है, परंतु अभियुक्त भारत सिंह एवं सतेन्द्र उर्फ सत्ता के विरुद्ध कोई अपराध होना प्रमाणित नहीं है। यद्यपि रामनिवास सिंह के विरुद्ध भी मोटरसाइकिल की लूट कारित करना प्रमाणित नहीं हुआ है।

**28.** फलस्वरूप अभियुक्तगण भारत सिंह गुर्जर एवं सतेन्द्र गुर्जर उर्फ सत्ता को भा0द0सं0 की धारा 397 सहपठित धारा 34 एवं म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 एवं 13 के तहत दण्डनीय अपराध के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रामनिवास सिंह को भा0द0सं0 की धारा 397 सहपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

**29.** परंतु अभियोजन अभियुक्त रामनिवास के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उसने दिनांक 31.05.15 को लूटी गयी फरियादी श्याम शर्मा के आधिपत्य की उक्त मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 30 एमसी 9021 अर्थात् चुरायी हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुरायी हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा।

**30.** फलस्वरूप अभियुक्त रामनिवास सिंह गुर्जर को भा0द0सं0 की धारा-411 के तहत तथा म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-11 एवं 13 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

**31.** बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त रामनिवास सिंह गुर्जर को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है, जबकि राज्य की ओर से विरोध किया गया है कि अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र में हुई लूट की संपत्ति अर्थात् चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त किया है। परिवीक्षा का लाभ न दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। परिवीक्षा के संबंध में उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इस मामले में दिन दहाड़े लूट हुई है, यद्यपि अभियुक्त के द्वारा लूट करना प्रमाणित नहीं हुआ है। परंतु उक्त लूट में लूटी हुई संपत्ति अभियुक्त रामनिवास सिंह के आधिपत्य से जप्त हुई है। अभियुक्त रामनिवास सिंह की आयु वर्तमान में 32 वर्ष है और घटना के समय लगभग 30 वर्ष की आयु रही होगी। उसे इस प्रकरण में अन्य प्रकरण से फार्मल रूप से गिरफ्तार किया गया है अर्थात् उसके विरुद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। मामले की इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त रामनिवास सिंह को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया। यह निर्णय लेखन दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त रामनिवास सिंह एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

मोहम्मद अज़हर  
विशेष न्यायाधीश डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

**पुनश्च:**

- 32.** दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर को सुना गया तथा राज्य की ओर से श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। राज्य की ओर से कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है। अभियुक्त रामनिवास सिंह की ओर से व्यक्त किया है कि वह गरीब व्यक्ति है, वह लगातार न्यायिक निरोध में है और लंबे समय से अभियोजन का सामना कर रहा है। उस पर अपने परिवार की देखरेख का दायित्व भी है, उक्त आधारों पर न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि से ही दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 33.** प्रकरण की उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों तथा उभयपक्ष के मामले एवं उनकी संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया गया। इस मामले में लूट की संपत्ति अर्थात् चुराई हुई संपत्ति अभियुक्त रामनिवास सिंह के आधिपत्य से जप्त हुई है। फरियादी के साथ लूट की घटना होना भी प्रकट है। लूट दिन दहाड़े की गई है, अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त रामनिवास सिंह के विरुद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 34.** फलस्वरूप अभियुक्त रामनिवास को भा0द0स0 की धारा-411 सहपठित धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत के तहत **तीन वर्ष** के कठिन कारावास एवं **3,000/- (तीन हजार)** रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
- 35.** अभियुक्त रामनिवास सिंह को दिनांक **10.06.2015** को गिरफ्तार किया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2016 के पालन में दिनांक **31.07.2017** को जमानत पर रिहा किया गया था। अभियुक्त भारत सिंह एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र को **23.07.2015** को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेश दिनांक 16.10.2015 के पालन में उन्हें दिनांक **03.11.2015** को जमानत पर रिहा किया गया था। इस प्रकार अभियुक्त रामनिवास सिंह इस प्रकरण में 02 वर्ष 52 दिवस निरोध में रहा है तथा अभियुक्त भारत सिंह एवं सत्ता उर्फ सतेन्द्र इस प्रकरण में 104-104 दिवस निरोध में रहे हैं। उनके द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि समायोजित की जावे। न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे।
- 36.** प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.सी. 9021 उसके पंजीकृत स्वामी बृजराह सिंह पुत्र रामेश्वर शर्मा निवासी ग्राम शेरपुर तहसील गोहद की सुपुर्दगी में है। उक्त सुपुर्द मोटरसाइकिल बृजराज शर्मा के पास ही रहेगी। सुपुर्दगी नामा बाद मियाद अपील रद्द किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 37.** प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर 100 सीसी काले व सिल्वर रंग की रजिस्ट्रेशन नंबर (प्लेट पर) एम.पी.-30-एम.सी.-9422, आगे वाली नंबर प्लेट पर ए सरपंच एस लिखा है। चेसिस नंबर एम.डी. 2डी.एस.पी.ए.जेड.जेड.यू.

पी.ए. 34780 पर किसी भी पक्ष ने कोई क्लेम नहीं किया है। परंतु मुद्देमाल पर्चे एवं अन्य अभिलेख तथा मालखाने से ली गई जानकारी के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में प्रथम से विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर थाना एण्डोरी से मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी तलब की जावे और उक्त जानकारी के अनुसार निराकरण किया जावे।

**38.** निर्णय की प्रति धारा-365 द.प्र.सं. के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित  
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अजहर)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड